PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART III, SECTION 4

THE REPORTING SYSTEM ON ACCOUNTING SEPARATION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012

(20 of 2012)

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October 2012

No. 14-07/2012–F&EA- In exercise of powers conferred by section 36, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2012 (7of 2012), namely:-

1 (1) These regulations may be called the Reporting System on Accounting Separation (Amendment) Regulations, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. After regulation 5 of the Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2012 (7of 2012), the following regulation shall be inserted, namely:-

“5A. Consequences for failure of the service provider to submit reports, statements or making or furnishing of false statements and information:

(1) If any service provider contravenes the provisions of regulation 5, it shall without prejudice to the terms and conditions of its licence or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or, directions issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial disincentive, not exceeding five lakh rupees and, in case the default continues for more than fifteen days, additional amount not exceeding fifty thousand rupees for every day after fifteen days

during which the default continues, as the Authority may, by order, direct.

Provided that for every subsequent contravention, the service provider shall be liable to pay an amount, by way of financial disincentive, not exceeding ten lakh rupees and, in case the default continues for more than fifteen days, additional amount not exceeding one lakh rupees for every day after fifteen days during which the default continues, as the Authority may, by order, direct:

(2) If the report furnished by the service provider under regulation 5 is false and which such service provider knows or believes to be false or does not believe to be true, or omits any material fact knowing it to be material, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence, or the provisions of the Act or rules or regulations or order made, or, direction issued thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial disincentive, not exceeding ten lakh rupees, as the Authority may, by order, direct.

(3) No order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the regulations observed by the Authority.

(N. Parameswaran)
SECRETARY-IN-CHARGE

Note1: The Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2012 (7of 2012) were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. 16-07/2010-FA dated 11th April 2012.

Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of amendment in the principal Regulations.

Explanatory Memorandum

The Telecom Regulatory Authority of India published The Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2012 (7of 2012) on 11th April 2012 replacing 'The Reporting System on Accounting Separation Regulation, 2004' which lays down the reporting requirements on Accounting Separation for telecom service providers.

2 In regulation 5, the Authority prescribed for submission of audited Accounting Separation Reports by specified service providers within six months of the end of accounting year to the Authority based on Historical Cost Accounting on yearly basis and Replacement Cost Accounting on every second accounting year.

3 Several instances of delay in submission of audited Accounting Separation Reports by the service providers have been noticed. Also, there have been cases where incomplete/incorrect information was submitted in the audited Accounting Separation Reports of the service providers. Such actions of the service providers defeat the very purpose of calling for the financial & non-financial information by the Authority.

4 The Accounting Separation Regulations do not contain any provision to disincentivize delay in submission of prescribed reports or submission of incomplete/incomplete information in the reports by the service providers. In order to ensure timely submission of complete and correct reports under regulation 5 of The Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2012 (7of 2012) notified on 11th April 2012, the Authority has felt that some financial disincentives should be imposed on the defaulting service providers.

5 In view of the above, a new regulation "5A -Consequences for failure to submit reports, statements and making or furnishing false statements and information" has been inserted after regulation 5 and before regulation 6 of the principal Regulations imposing financial disincentives for those service providers who default in compliance with regulation 5 of "The Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2012 (7of 2012)".

6 The comments of the stakeholders were invited through TRAI's website on the draft "The Reporting System on Accounting Separation (Amendment) Regulations 2012" containing the proposal for insertion of regulation 5A. In response to the proposal in the draft Regulation, some of the stakeholders have stated that Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 does not confer upon the Authority power to impose penalty in the form of financial disincentives.

7 In this context, it is stated that the TRAI Act confers power on the Authority not only to regulate but also to ensure the compliance of the provisions of the regulations. The word "ensure" has mandatory connotation, it means "make certain". Furthermore, the Hon'ble Supreme Court, in its judgment dated the 17, Aug, 2007, in Civil Appeal No. 2104/2006 (Central Power Distribution Co. & Ors Vs. CERC & Anr), inter-alia, held that "it is well settled that a power to regulate includes within it power to enforce".

8 It will not be out of place to mention that there are a catena of judgments by the Supreme Court wherein the Hon'ble Court has repeatedly re-stated the proposition that legislation should be read and interpreted so as to further the purpose of its enactment and not in a manner that derogates from its main objectives. The Hon'ble Supreme Court in its judgment in the case of State of Karnataka Vs. Vishwabharthi House Building Co-operative Societies and Ors. [(2004) 5 SCC 430], quoted with approval the judgment of Hon'ble Guwahati High Court in the case of Arbind Das Vs.

State of Assam & Ors. [AIR 1981 Gau 18 (FB)] wherein it was inter-alia, held that where a statute gives a power, such power implies that legitimate steps may be taken to exercise that power even though these steps may not be clearly spelt out in the statute. The Hon'ble Court further held that in determining whether a power claimed by a statutory authority can be held to be incidental or ancillary to the powers specially conferred by the statute, the court must not only see whether the power may be derived by reasonable implication from the provisions of the statute, but also whether such powers are necessary for carrying out the purposes of the provision of the statute which confers power on the Authority in exercise of such powers. The relevant part of the said judgment reads as under:-

> *"We are of firm opinion that where a statute gives a power, such power implies that all legitimate steps may be taken to exercise that power even though these steps may not be clearly spelt in the statute. Where the rule-making authority gives power to certain authority to do anything of public character, such authority should get the power to take intermediate steps in order to give effect to the exercise of the power in its final step, otherwise the ultimate power would become illusory, ridiculous and inoperative which could not be the intention of the rule-making authority.*
>
> *In determining whether a power claimed by the statutory authority can be held to be incidental or ancillary to the powers expressly conferred by the statute, the court must not only see whether the power may be derived by reasonable implication from the provisions of the statute, but also whether such powers are necessary for carrying out the purpose of the provisions of the statute which confers power on the authority in its exercise of such power."*

In view of the above, the Authority has power to impose financial disincentives on the service providers for non-compliance of the provisions of the Regulations.

9 Some stakeholders have requested that a provision be made in the Regulations empowering the Authority to grant of extension of time for submission of prescribed Accounting Separation Reports as is available to the Registrar of Companies under Section 166(1) of the Companies Act, 1956. In this regard, it is clarified that Section 166(1) of the Companies Act, 1956 empowers the Registrar of Companies to grant extension of time, for any special reason, for holding the Annual General Meeting of a company by a period not exceeding three months. It has been observed that only unforeseen and unexpected circumstances beyond the control of the company are considered as "special reason" for grant of extension of time. The Authority requires Accounting Separation Reports for various regulatory functions and therefore their timely receipt is of paramount importance. Delay in receipt of the information will have adverse affect on the performance of regulatory functions. Therefore, the Authority has decided not to include any provision for extension of time in the Regulation. To take care of the concern of the stakeholders as to the occurrence of delay in submission of Accounting Separation Reports due to unforeseen and unexpected circumstances beyond their control, the sub regulation (3) of regulation 5A already provides that reasonable opportunity will be given to the service provider to represent against the contravention of the regulations observed by the Authority before financial disincentives are imposed.

10 The amendments made through the Regulations are without prejudice to the action that may be taken against the service providers in accordance with the provisions of TRAI Act for violations of regulatory mandates. The Authority wants to make it clear that the prescribed financial disincentives are only to enhance the compliance level and it shall be open to the Authority to take action separately for violation of any Regulations, Order and Direction as provided in the Act.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड 4 में प्रकाशित

लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति (संशोधन) विनियम, 2012

(2012 का 20)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2012

संख्याः 14–07/2012–एफएण्डईए : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (i) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 (2012 का 07) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1 (1) इन विनियमों को लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति (संशोधन) विनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2 लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 (2012 का 07) के विनियम 5 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएंगे; नामतः–

"5ए– रिपोर्ट, विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने तथा गलत विवरण एवं सूचना तैयार या प्रस्तुत करने के परिणाम :

(1) यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो यह इसके लाइसेंस के नियमों और शर्तों अथवा अधिनियम के प्रावधानों अथवा तैयार नियमों अथवा विनियमों अथवा आदेशों, अथवा इसके तहत जारी निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय निरूत्साहन के माध्यम से पांच लाख रुपए से अनधिक की राशि का भुगतान करेगा, यदि चूक पंद्रह दिनों से अधिक समय तक जारी रहती है तो जिन पंद्रह दिनों तक चूक जारी रहती है, उन पंद्रह दिनों के पश्चात् प्रत्येक दिन के

लिए अतिरिक्त पचास हजार रुपए की राशि, जैसा प्राधिकरण आदेश द्वारा निदेश देगा, का भुगतान करेगा ।

बशर्ते कि प्रत्येक अगामी उल्लंघन के लिए, सेवा प्रदाता वित्तीय निरूत्साहन के माध्यम से दस लाख रुपए से अनधिक की राशि का भुगतान करेगा। यदि चूक पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि तक जारी रहती है, तो पंद्रह दिनों के पश्चात्, प्रत्येक दिन जब तक चूक जारी रहती है, के लिए एक लाख रुपए से अनधिक की अतिरिक्त राशि, जैसा प्राधिकरण आदेश द्वारा निदेश दे, का भुगतान करेगा ।

(2) यदि सेवा प्रदाता द्वारा विनियम 5 के तहत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट गलत पाई जाती है तथा जो ऐसा सेवा प्रदाता के जानने या मानने में गलत हो अथवा उसके मतानुसार गलत हो या किसी तथ्यात्मक जानकारी का जानबूझ कर लोप किया गया हो, तो यह इसके लाइसेंस के नियमों और शर्तों अथवा अधिनियम के प्रावधानों अथवा तैयार नियमों अथवा विनियमों अथवा आदेशों अथवा इसके तहत जारी किए निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय निरूत्साहन के माध्यम से दस लाख रुपए की राशि, जैसा प्राधिकरण, आदेश द्वारा निदेश दे, का भुगतान करेगा ।

(3) प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरूत्साहन के माध्यम से किसी भी राशि के भुगतान करने का कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्राधिकरण, सेवा प्रदाता को उसके द्वारा की गई चूक के विरूद्ध, अपना पक्ष रखने का एक उचित अवसर नहीं देता है।

(एन0 परमेश्वरन)
सचिव–कार्यभारी

टिप्पणी 1: लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 (2012 का 07), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 16–7/2010–एफए दिनांक 11 अप्रैल,2012 द्वारा प्रकाशित हुआ।

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन, मूल विनियमों में किए गए संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2004', जो कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग आवश्यकता निर्धारित करता था, को दिनांक 11 अप्रैल, 2012 के लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 (2012 का 7) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2 विनियम 5 में, प्राधिकरण ने प्रत्येक विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता हेतु लेखांकन व र्ा के अंत के 6 महीने के अंदर प्राधिकरण को परंपरागत लागत लेखांकन पर आधारित वार्िक लेखा–परीक्षित रिपोर्टें और प्रतिस्थापन लागत लेखांकन पर आधारित प्रत्येक दूसरे लेखांकन व र्ा की लेखा–परीक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया।

3 प्राधिकरण के संज्ञान में सेवा प्रदाताओं द्वारा लेखापरीक्षित लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट को विलंब से प्रस्तुत करने के कई उदाहरण पाए हैं। यही नहीं, ऐसे भी मामले पाए गए हैं, जिनमें सेवा प्रदाताओं द्वारा लेखापरीक्षित लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट में अपूर्ण/गलत विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। सेवा प्रदाताओं के इस तरह की क्रियाओं से, प्राधिकरण द्वारा वित्तीय एवं गैर–वित्तीय सूचना प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाता है ।

4 लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट विनियमों में, सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने या रिपोर्टों में अपूर्ण विवरण/अपूर्ण रिपोर्ट देने पर, निरूत्साहित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्राधिकरण महसूस करता है कि 11 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टिंग पद्धति विनियम 2012 (2012 का 7) के विनियम 5 के तहत पूर्ण व सही रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए चूक सेवा प्रदाताओं पर कुछ वित्तीय निरूत्साहन लगाया जाना चाहिए।

5 उपर्युक्त को देखते हुए, मूल विनियमों के विनियम 5 के पश्चात् तथा विनियम 6 से पहले, ऐसे सेवा प्रदाता जो कि "लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 (2012 का 7)" के विनियम 5 के अनुपालन करने में विफल होंगे, पर वित्तीय निरूत्साहन अधिरोपित करने के लिए एक नया विनियम "5ए– रिपोर्ट, विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने तथा गलत विवरण एवं सूचना तैयार या प्रस्तुत करने के परिणाम" को अंतःस्थापित किया गया है ।

6 भादूविप्रा की वेबसाइट के माध्यम से "लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति (संशोधन) विनियम, 2012" में विनियम 5ए को अंतःस्थापित करने के प्रस्ताव के मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। मसौदा विनियम में दिए गए प्रस्ताव के जवाब में, कुछ हितधारकों द्वारा कहा गया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम,1997, प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में वित्तीय निरूत्साहन अधिरोपित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

7. इस परिप्रेक्ष्य में, यह उल्लेख किया गया है कि भादूविप्रा अधिनियम, प्राधिकरण को न केवल विनियमित करने बल्कि विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी अधिकार प्रदत्त करता है। "सुनिश्चित" करना शब्द में अनिवार्यता का लक्षण है और इसका अभिप्राय "निश्चित बनाना" है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2104/2006 (सैन्ट्रल पावर

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और अन्य बनाम सीईआरसी और अन्य) में अपने 17 अगस्त, 2007 के निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ यह माना है कि ''यह सुस्थापित तथ्य है कि प्रवर्तन के अधिकार के अंदर विनियमित करने का अधिकार निहित है।"

8. यह उल्लेख करना संदर्भ से इतर नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने बार–बार इस सिद्धांत को दोहराया है कि किसी भी विधान का इस प्रकार से पठन एवं विवेचना की जानी चाहिए कि इससे इसके अधिनियमन के उद्देश्य को सफल बनाया जा सके न कि मुख्य उद्देश्य से अल्पीकरण हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम विश्वभारती हाऊस बिल्डिंग सहकारी सोसायटी और अन्य [(2004) 5 एससीसी 430)] मामले में अरविन्द दास बनाम असम राज्य और अन्य [एआईआर 1981 गुवाहाटी 18(एफबी)] में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसमर्थन में उद्धृत किया, जिसमें न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह माना कि जहां एक संविधि द्वारा अधिकार प्रदत्त किया जाता है, वहां ऐसा अधिकार का अभिप्राय है कि उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए विधिसम्मत कदम उठाए जाएं। जबकि, ऐसा हो सकता है कि ऐसे कदमों को संविधि में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया हो। माननीय न्यायालय ने आगे यह भी माना कि इस बात का निर्धारण करने में क्या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा दावाकृत अधिकार संविधि द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त अधिकारों की अनुषंगी अथवा सहायक अधिकार होंगे, न्यायालय को न केवल यह देखना चाहिए कि क्या अधिकार संविधि के प्रावधानों को न्यायोचित विवक्षा से प्राप्त हुई हैं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि क्या ऐसे अधिकार संविधि के प्रावधानों के प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु आवश्यक हैं, जो प्राधिकरण को ऐसे अधिकारों के प्रयोग करने हेतु अधिकार प्रदत्त करता है। उक्त निर्णय का संगत भाग निम्नवत् पठित है:–

> *''हमारा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि जब कोई संविधि अधिकार प्रदान करती है तो ऐसे अधिकार का अभिप्राय है कि उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी विधिसम्मत कदम उठाए जाएं, जबकि ऐसा हो सकता है कि इन कदमों को संविधि में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया हो। उस स्थिति में जब नियम बनाने वाला प्राधिकरण किसी सार्वजनिक स्वरूप का कार्य करने के लिए कतिपय प्राधिकार देता है तो ऐसे प्राधिकरण को अंतिम रूप से अधिकारों के प्रयोग को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु अंतवर्ती कदम उठाने के लिए अधिकार प्राप्त होने चाहिए अन्यथा अंतिम अधिकार भ्रामक, बेतुका और निष्क्रिय सिद्ध होगा जो कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण के अभिप्राय के विपरीत होगा।*
>
> *यह निर्धारित करने के लिए क्या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा दावाकृत अधिकार, संविधि द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त अधिकरों की अनुषंगी या सहायक कही जा सकती हैं, न्यायालय को न केवल यह देखना चाहिए कि क्या अधिकारों को संविधि के प्रावधानों को औचित्पूर्ण विवक्षा से*

प्राप्त किया जा सकता है बल्कि यह भी देखना चाहिए कि क्या ऐसे अधिकार,, संविधि के प्रावधानों के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं, जो ऐसे अधिकारों को प्रयोग करने के अधिकार प्राधिकरण को प्रदत्त करता है।"

उपर्युक्त के मद्दे नजर, प्राधिकरण को विनियमों के प्रावधानों के अननुपालन के लिए सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाने के अधिकार प्राप्त हैं।

9 कुछ हितधारकों ने यह अनुरोध किया कि विनिर्धारित लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय–सीमा को बढ़ाने का अधिकार प्राधिकरण को देने के लिए विनियमों में प्रावधान किए जाएं, जैसा कि कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 166(1) के तहत कंपनियों के पंजीयक को उपलब्ध है। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 166(1), कंपनियों के पंजीयक को अधिकार प्रदान करता है कि किसी भी विशेष कारण, कंपनी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन तीन माह से अनधिक की अवधि में करने की अनुमति का अधिकार प्रदान कर सकता है। यह देखा गया है कि समय में बढ़ोतरी प्रदान करने के लिए केवल कंपनी के नियंत्रण से बाहर अनपेक्षित और अप्रत्याशित परिस्थितियों को ''विशेष कारण'' माना जाता है। प्राधिकरण को विभिन्न विनियामक कार्यों के लिए लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टें की आवश्यकता होती है तथा इसलिए, उनकी समय पर प्राप्ति सर्वोपरि है। देरी से सूचना प्राप्त होने पर, विनियामक कार्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा है। इसलिए, प्राधिकरण ने, विनियम में समय के विस्तार हेतु कोई भी प्रावधान शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। हितधारकों के इस सरोकार का ख्याल रखना कि लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टें प्रस्तुत करने में देरी की घटना, उनके नियंत्रण से बाहर अनपेक्षित और अप्रत्याशित परिस्थितियों में होती है, के लिए पहले ही विनियम 5ए का उप–विनियम (3) में वित्तीय निरूत्साहन अधिरोपित करने से पूर्व, सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए विनियमों के उल्लंघन के विरूद्ध प्रतिवेदन करने का उचित अवसर प्रदान किया गया है।

10. विनियमों के माध्यम से किए गए संशोधन विनियामक अध्यादेशों के उल्लंघन के लिए भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। प्राधिकरण यह स्पष्ट करना चाहता है कि विहित वित्तीय अनुत्साहन केवल अनुपालन स्तर में वृद्धि करने के लिए ही है तथा प्राधिकरण के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी अधिनियम में यथा संबंधित विनियम, आदेश तथा अधिनियम में उपबंधित निदेश के उल्लंघन के लिए पृथक कार्रवाई कर सकता है।